तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम [illegible] हुकम को [illegible] में जां[illegible]
17/3/2020	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ [illegible] [illegible] कर आज अदालती [illegible] रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/5/2020 को पेश हो।	
28/5/20	पत्रावली पेश हुई। लॉकडाउन होने के कारण इकजाही तारीख पेशी दी जाने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/8/20 को पेश हो।	
27/8	पत्रावली पेश [illegible] संघ [illegible] कर आज अदाल[illegible] रखा है। प[illegible] [illegible]नुसार दिनांक 29/9/20 [illegible]	
29/9/20	पत्रवली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O सा. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/12/2020 को पेश हो।	
15/12	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/2/21 को पेश हों।	
11/02/21	पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित आये। पत्रावली काफी समय से लम्बित है इसलिए वकुलाय उभय पक्ष को बहस हेतु निर्देशित किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 22/02/21 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Breesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:19 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/2/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे तथा वकुलाय अप्रार्थीगण ने पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी पक्षकारान की उपस्थिति में किये जाने का कथन किया था। बहस विद्वान अधिवक्तागण पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण सहखातेदार दर्ज है। अतः अन्य सह खातेदार एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमांज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बावत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।	

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम आगवाडी स्थित भूमि खसरा नंबर 38 रकबा 0.27 है0, खसरा नंबर 40 रकबा 1.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.34 है0 की प्रार्थीगण, अन्य सह खातेदार एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान 20.06.201[illegible] तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर [illegible] पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर [illegible] हो।

निर्णय सर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:19 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना